



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2207]

नई दिल्ली, सोमवार, जून 18, 2018/ज्येष्ठ 28, 1940

No. 2207]

NEW DELHI, MONDAY, JUNE 18, 2018/JYAISTHA 28, 1940

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 जून, 2018

सं. 27/2018

(आयकर)

का.आ. 2938(अ).—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 193 के परन्तुक के खंड (IIख) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, एतद्वारा पावर फाइनेन्स कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा जारी "पावर फाइनेन्स कार्पोरेशन लिमिटेड 54EC कैपिटल गेन्स बॉण्ड्स" को उक्त खंड के प्रयोजनार्थ विनिर्दिष्ट करती है।

वशर्ते कि उक्त परन्तुक के अन्तर्गत लाभ बेचान अथवा सुपुर्दगी द्वारा ऐसे बन्ध-पत्रों के अन्तरण के मामले में तभी ग्राह्य होंगे यदि अन्तरिती ऐसे अन्तरण से साठ दिन की अवधि के भीतर पंजीकृत डाक द्वारा पावर फाइनेन्स कार्पोरेशन लिमिटेड को सूचित करता है।

[अधिसूचना संख्या 27/2018/फा. सं. 275/27/2017-आईटी(बी)]

संदीप सिंह, अवर सचिव